संख्या-09/2016/678/92-1-2016-145आरईएस/2004

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2016

विषय:- **भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो के समुचित संचालन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सृजित पदों के सापेक्षअधिशासी अभियंता के 05 तथा अधीक्षण अभियंता के 01 अर्थात् कुल 06 अधिसंख्य पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-560/92-2013-145आरईएस/2004, दिनांक 13 फरवरी, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अधिशासी अभियंता वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 6600 के 16 पद तथा मुख्यालय लखनऊ में योजना के अनुश्रवण के लिये उक्त वेतनमान में ही अधिशासी अभियंता का 01 पद एवं अधीक्षण अभियंता वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0 8700 का 01 पद अर्थात कुल 18 अधिसंख्य पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से इस शर्त के अधीन किया गया था कि मूल संवर्ग में रिक्तियां होने पर इन अधिसंख्य पदों को समाहित कर लिया जायेगा। पुन: शासनादेश संख्या-15/2045/92-2014-145आरईएस/2004, दिनांक 30 मई, 2014 द्वारा सन्दर्भित अधिसंख्य पदों की निरन्तरता दिनांक 31-3-2015 तक अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अस्तित्व में रहने/चलते रहने की अवधि तक के लिये, जो भी पहले हो, तक बनाये रखे जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की गयी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु शासनादेश दिनांक 13-2-2013 द्वारा सृजित अधिशासी अभियंता के 17 पदों के सापेक्ष भरे हुये 05 पद तथा अधीक्षण अभियंता के 01 पद कुल 06 पदों की निरन्तरता वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के दिनांक 01 मार्च, 2015 से दिनांक 29-2-2016 तक निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि शासनादेश दिनांक 13-2-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यदि मूल संवर्ग में कोई पद रिक्त है तथा आगे जैसे-जैसे रिक्त होंगे, वैसे-वैसे इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को समायोजित करते हुये उक्त अधिसंख्य पद स्वत: समाप्त हो जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ई-2-186/दस-2016, दिनांक 24-02-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-09/2016/678(1)/92-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।